संख्या-80/2023/1436/12-2-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 03 अक्टूबर, 2023

विषयः-**रबी अभियान 2023-24 की फसल उत्पादन की रणनीति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश में रबी एक महत्वपूर्ण फसल सीजन है। रबी 2022-23 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 134.06 लाख हे0 का क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 427.83 लाख मे0 टन का उत्पादन हुआ। आगामी रबी 2023 में खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 134.85 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादन तथा 448.66 लाख मे0 टन उत्पादन का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत लक्षित हैः-

क्र0सं0	फसल	क्षेत्रफल में वृद्धि (प्रतिशत में)	उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)
1	गेहूँ	0.06	4.49
2	जौ	0.70	3.72
3	मक्का (रबी)	53.54	57.79
4	दलहन	2.08	13.50
5	तिलहन	2.32	2.33

2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति व अनुमान निम्नवत हैः-

राष्ट्रीय स्तर				प्रदेश स्तर		
फसल	क्षेत्र (लाख हे0) (2021-22)	उत्पादन (2021-22) (लाख मी0टन)	उत्पादन (2022-23) (लाख मी0 टन)	क्षेत्र (लाख हे0) (2022-23)	उत्पादन (2022-23) (लाख मी0 टन)	उत्पादन लक्ष्य (2023-24) (लाख मी0 टन)
धान	463.80	1302.90	1355.42	61.79	165.62	178.13
गेहूँ	304.70	1068.40	1127.43	101.93	380.70	397.80
जौ	6.74	13.71	16.87	1.93	5.91	6.13
मक्का	100.40	336.20	359.13	8.91	19.52	24.01
श्री अन्न	229.80	511.01	547.48	22.39	49.12	58.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	राष्ट्रीय स्तर			प्रदेश स्तर		
दलहन	310.30	276.90	275.04	27.56	29.78	35.07
कुल खाद्यान्न	1305.30	3157.20	3305.34	213.66	625.23	700.08
तिलहन	291.70	377.00	409.96	18.06	21.56	23.63

3. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वर्ष 2022 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं रबी 2023 में अनुमानित आवश्यकता निम्नवत है:-

उर्वरक	रबी 2022-23 में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय (लाख मी0 टन)	रबी 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित लक्ष्य (लाख मी0 टन)	रबी 2022-23 में प्रदेश स्तर पर विक्रय (लाख मी0 टन)	रबी 2023-24 में प्रदेश स्तर पर अनुमानित लक्ष्य (लाख मी0 टन)	वृद्धि का प्रतिशत
यूरिया	184.64	184.64	38.44	36.13	-6.01
डी0ए0पी0	53.70	53.70	14.25	15.48	8.63
एन0पी0के0	55.24	55.24	3.44	3.82	11.04
एम0ओ0पी0	9.19	9.19	0.86	1.32	53.48
एस0एस0पी0	23.75	23.75	2.46	3.50	42.27

4. दलहनी फसलों के राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एवं आयात की वर्तमान स्थिति व प्रोजेक्शन निम्नवत है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	2020-21	2021-22	2028-29	2029-30	2030-31
मांग	28.18	29.26	31.83	32.64	35.23
उत्पादन	25.72	26.96	29.79	30.75	33.95
आयात की आवश्यकता	2.46	2.30	2.04	1.89	1.28
आयात पर निर्भरता	9 प्रतिशत	8 प्रतिशत	6 प्रतिशत	5.7 प्रतिशत	3.6 प्रतिशत

5. दलहनी फसलों का राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 तक क्षेत्र आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत रही है:-

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षेत्र आच्छादन (लाख हे0)	298.1	291.6	279.9	288.3	303.7
उत्पादन (लाख मी.टन)	254.2	220.8	230.3	257.2	269.5
उत्पादकता (कुं./हे.)	8.53	7.57	8.23	8.92	8.87

विगत वर्षो में राष्ट्रीय स्तर पर दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आयात पर निर्भरता कम हुई है।

6. दलहनी फसलों का प्रदेश स्तर पर वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 तक क्षेत्र आच्छादन व उत्पादन की स्थिति निम्नवत रही है:-

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क्षेत्र आच्छादन (लाख हे0)	22.91	23.70	23.80	26.93	27.56
उत्पादन(लाख मी0टन)	24.08	24.47	25.34	29.20	29.79
उत्पादकता (कुं0/हे0)	10.51	10.32	10.64	10.84	10.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों के उत्पादन, निर्यात व प्रति व्यक्ति उपयोग की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	खपत के लिए उपलब्ध तेल (मिलियन टन)	घरेलू उत्पादन (मिलियन टन)	आयात (मिलियन टन)	आयात की कीमत (रू0 करोड़ में)	आयात पर निर्भरता (प्रतिशत)	खपत प्रति व्यक्ति (कि.ग्रा./ प्रति वर्ष)
1986-87	5.34	3.87	1.47	700	28.0	6.2
1994-95	7.54	7.19	0.35	300	5.0	7.3
2014-15	21.36	8.63	12.73	64894	59.6	18.3
2019-20	25.06	10.60	14.46	68576	57.7	18.7
2020-21	25.82	12.47	13.35	79190	54.9	18.2

8. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षेत्र आच्छादन (लाख हे0)	245.1	247.9	271.4	287.9	287.6
उत्पादन (लाख मी0टन)	314.6	315.2	332.2	361.0	371.5
उत्पादकता (कुं0/हे0)	12.84	12.71	12.24	12.54	12.91

9. प्रदेश स्तर पर तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क्षेत्र आच्छादन (लाख हे0)	12.33	12.06	11.97	14.22	18.06
उत्पादन (लाख मी0 टन)	13.31	10.75	12.75	14.74	21.57
उत्पादकता (कुं0/हे0)	10.80	8.91	10.65	10.37	11.94

प्रदेश स्तर पर कुल दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन की स्थिति निम्नवत है:-

(क्षेत्राच्छादन लाख हे0 में)

फसल	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
दलहन	22.91	23.70	23.80	26.93	27.56
तिलहन	12.33	12.06	11.97	14.22	18.06

(उत्पादन लाख मी0 टन में)

फसल	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
दलहन	24.08	24.47	25.34	29.20	29.79
तिलहन	13.31	10.75	12.75	14.74	21.57

10. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रबी 2023 हेतु रणनीति के मुख्य पहलू निम्नवत हैं:-

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कलस्टर अप्रोच।
- फसल प्रणाली केन्द्रित हस्तक्षेप-दलहन, तिलहन एवं न्यूट्रीसिरियल्स को केन्द्र में रखते हुए।
- फसल सघनता में बढ़ोत्तरी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- बीज प्रतिस्थापन दर एवं प्रजाति प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।

11. विगत 05 वर्षो में प्रदेश में रबी में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि निम्नवत रही:-

क्षेत्रफल- लाख हे0

उत्पादन- लाख मै0 टन

खाद्यान्न						तिलहन			
क्र0 सं0	वर्ष	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	पूर्ति	उत्पादन का लक्ष्य	पूर्ति	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	पूर्ति	उत्पादन का लक्ष्य	पूर्ति
1	2018-19	120.32	116.5	394.94	405.60	7.81	7.53	11.26	11.35
2	2019-20	121.01	117.48	424.57	389.23	7.90	7.03	11.45	9.05
3	2020-21	121.10	117.65	425.70	401.65	7.92	7.01	11.47	10.23
4	2021-22	121.13	120.46	425.62	407.91	8.17	9.45	11.84	12.67
5	2022-23	116.84	120.82	421.84	408.39	13.20	13.24	12.57	19.44

12. उत्तर प्रदेश में विगत 05 वर्षो में रबी में खाद्यान्न व तिलहनी फसलों का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

(लाख मै0 टन)

क्र0सं0		वर्ष				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	खाद्यान्न उत्पादन	405.60	389.23	401.65	407.93	408.39
2	तिलहन उत्पादन	11.35	9.05	10.23	12.67	19.44
योग		416.95	398.28	411.88	420.60	427.83

13. प्रदेश में रबी की महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त के क्रम में स्थिति निम्नवत है:-

क्र0सं0	फसल	उत्तर प्रदेश में उत्पादकता (2022-23)	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता (2021-22)	अधिकतम उत्पादकता
1	गेहूँ	37.35	35.07	45.33 (हरियाणा)
2	चना	13.49	12.60	19.08 (गुजरात)
3	मसूर	9.50	9.04	13.21 राजस्थान)
4	सरसों	14.97	14.58	19.96 (गुजरात)

14. रबी के महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। फसलवार यह स्थिति वर्ष 2022-23 की निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फसल	जनपद जहाँ अधिकतम उत्पादकता है	उत्पादकता कुं0/हे0	क्षेत्राच्छादन लाख हे0	जनपद जहाँ न्यूनतम उत्पादकता है	उत्पादकता कुं0/हे0	क्षेत्राच्छादन लाख हे0
गेहूँ	शामली	48.88	0.550	प्रयागराज	23.02	2.45
चना	जौनपुर	21.41	0.052	खीरी	7.33	0.01
मसूर	सुल्तानपुर	20.40	0.051	बिजनौर	6.05	0.010
सरसों	फिरोजाबाद	25.05	0.131	रायबरेली	8.12	0.089
जौ	मथुरा	37.30	0.045	प्रयागराज	14.94	0.06

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधिकतम उत्पादकता वाले जनपदों के प्रगतिशील कृषकों के यहाँ अन्य जनपदों के कृषकों व वैज्ञानिकों/अधिकारियों को फील्ड विजिट पर/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए।

15. कृषकों की आय बढ़ाने के सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है तथा रबी की फसलों की बुवाई समय से किए जाने पर जोर दिया जाए। रबी 2023 के लिए निर्धारित कुल खाद्यान्न उत्पादन के 428.77 लाख मै0 टन एवं तिलहन उत्पादन के 19.90 लाख मै0 टन (खाद्यान्न एवं तिलहन के कुल उत्पादन 448.66 लाख मै0 टन) के लक्ष्य का फसलवार विवरण निम्नवत है:-

क्षेत्रफल - लाख हे0
उत्पादन लाख मै0 टन

क्र0सं0	फसल	आच्छादन लक्ष्य	उत्पादन लक्ष्य
1	**गेहूँ**	102.00	397.80
2	**जौ**	1.94	6.13
3	**मक्का**	0.15	0.44
4	**चना**	6.86	9.71
5	**मटर**	4.68	8.00
6	**मसूर**	5.67	6.69
खाद्यान्न		121.30	428.77
7	**राई सरसों**	13.00	19.50
8	**अलसी**	0.55	0.40
तिलहन		13.55	19.90
कुल		**134.85**	**448.66**

16. रबी 2023 के लिये निर्धारित उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित रणनीति होगी:-

- यह निर्णय लिया गया है कि अधिक उत्पादन वाली उन्नतशील नई प्रजातियों को विशेष बढ़ावा दिया जाये। इसके लिये आवश्यक है कि बीज प्रतिस्थापन दर (एस0आर0आर0) के साथ-साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर (वी0आर0आर0) को भी प्राथमिक्ता दी जाय, जिससे नई प्रजातियों से प्रदेश निरन्तर आच्छादित होता रहे। संकर प्रजाति के मक्का बीजों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नत्रजनिक, फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा जैव उर्वरकों यथा-राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर, पी0एस0बी0 व पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये। भारत सरकार को आयातित एवं स्वयं उत्पादित उर्वरकों पर उनके मूल्य से 4-5 गुना अधिक अनुदान देना पड़ रहा है, इसलिये संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाये। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ-साथ हरी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी/नाडेप कम्पोस्ट व सिटी कम्पोस्ट का भी प्रयोग कराया जाये। उन क्षेत्रों में जहॉ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहॉ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं हेतु संस्तुति जल की मात्रा के अनुरूप सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाये। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज शोधन व रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्टस पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ उठाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाये। किसानों के शतप्रतिशत बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुवाई के लिये प्रेरित किया जाये, ताकि बीज जनित रोगों से छुटकारा मिलें एवं किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके।

- सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। फसल बीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित काल सेन्टर 1800-889-6868 का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य करते हुये उन्हें योजना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। दलहन एवं तिलहन की खेती पर विशेष जोर दिया जाये। नवीनतम कृषि तकनीकी के प्रदर्शन का आयोजन कराया जाये। बीज शोधन, मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग आई0पी0एम0, आई0पी0एन0एम0, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि के कौशल प्रदर्शन कराये जाये। खेती के साथ-साथ पशुधन का विशेष महत्व होता है, जहॉ एक ओर पशुधन से दुग्ध तथा अन्य उपयोगी खाद्य पदार्थ प्राप्त होता हैवहीं पर पशुपालन से भारी मात्रा में गोबर जीवांश खाद के रूप में प्राप्त होता है, जो मृदा स्वास्थ्य का मूल आधार है। अतः पशुओं के लिये हरा चारा उत्पादन पर विशेष बल दिया जाये। रबी में साग-भाजी उत्पादन को भी विशेष बढ़ावा दिया जाये। किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 1800-180-1551 पर कृषि सम्बन्धी जानकारी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक कृषकों को कराने हेतु जागरूक किया जाये, जिससे किसान भाई इस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन कर बीहड़, ऊसर, बंजर, जलमग्न भूमियों को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाये तथा तालाबों का सुदृढ़ीकरण कराकर भूमिगत जल स्तर का सुधार किया जाये एवं इस योजनान्तर्गत सुधारी गयी भूमि को कृषि उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाय। विशेषकर बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाये।

17. <u>रबी उत्पादन लक्ष्यः-</u>

प्रदेश के जनपदों हेतु रबी 2023-24 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। रबी 2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 428.77 लाख मी0 टन एवं तिलहन उत्पादन 19.90 लाख मी0टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलवार लक्ष्य निम्नवत हैः-

क्षेत्रफल-000 हे0
उत्पादन-000 मी0 टन
उत्पादकता (उत्पा.) - कु0/हे0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 स0	फसल	वर्ष-2021-22 की उपलब्धि			वर्ष-2022-23 की उपलब्धि			वर्ष-2023-24 के लक्ष्य		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा.	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा.	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा.
1	गेहूँ	10192.420	38056.946	37.34	10193.110	38070.490	37.35	10200.000	39780.000	39.00
2	जौ	192.651	584.533	30.34	192.651	591.040	30.68	194.000	613.040	31.60
3	मक्का	8.639	24.119	27.92	9.769	27.568	28.22	15.000	43.500	29.00
4	चना	679.164	914.070	13.46	679.679	917.071	13.49	686.000	970.690	14.15
5	मटर	429.223	698.309	16.27	462.262	715.995	15.49	468.000	800.280	17.10
6	मसूर	543.706	513.514	9.44	543.960	516.679	9.50	567.000	669.060	11.80
कुल रबी खाद्यान्न		**12045.803**	**40791.491**	-	**12081.431**	**40838.843**	-	**12130.000**	**42876.570**	-
7	राई-सरसों	910.997	1246.021	13.68	1274.889	1908.905	14.97	1300.000	1950.000	15.00
8	अलसी	34.056	21.423	6.29	49.365	35.311	7.16	55.000	39.600	7.20
कुल रबी तिलहन		**945.053**	**1267.444**	-	**1324.254**	**1944.216**	-	**1355.000**	**1989.600**	-
महायोग		**12990.856**	**42058.935**	-	**13405.685**	**42783.059**	-	**13485.000**	**44866.170**	-

नोटः-अरहर की फसल के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य खरीफ अभियान-2023 में प्रसारित किये जा चुके है। **जनपदवार, फसलवार लक्ष्य संलग्नक-1 पर दर्शायें गये हैं।**

- **तोरिया फसल के जनपदवार क्षेत्रफल लक्ष्य संलग्नक-01 (अ) पर दर्शायें गये हैं।**

18. कृषि निवेशों की आपूर्ति के लक्ष्यः- फसलों के उत्पादन में कृषि निवेशों की न केवल मात्रात्मक उपलब्धता बल्कि उनका सामयिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखते है।

क- प्रमाणित बीजः-

रबी 2022-23 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के वितरण तथा 2023-24 हेतु बीज व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	फसल का नाम	गत वर्ष का वितरण (कु0 में) 2022-2023	वितरण लक्ष्य (कु0 में) 2023-24	बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में (प्रस्तावित)
1	गेंहूँ	4701228	4701500	47
2	जौ	48278	56000	33
3	चना	162754	163000	35
4	मटर	152119	152250	34
5	मसूर	105745	106000	35
6	तोरिया	9595	9600	43
7	राई-सरसों	43974	41000	100
8	अलसी	1741	2970	33
योग		**5225434**	**5232320**	**46**

जनपदवार प्रमाणित बीज वितरण के लक्ष्य संलग्नक-2 पर दर्शायें गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. **उर्वरकः-**

प्रदेश में रबी 2022-23 में 59.45 लाख मी0टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण/खपत हुई थी। रबी 2023-24 हेतु 60.25 लाख मी0टन उर्वरकों के उपलब्धता के लक्ष्य प्रस्तावित है।

(मात्रा लाख मी0 टन)

क्र0 सं0	उर्वरक	रबी 2022-23 की खपत	रबी 2023-24 के लक्ष्य
1	**यूरिया**	38.44	36.13
2	**डी0ए0पी0**	14.25	15.48
3	**एन0पी0के0**	3.44	3.82
4	**एम0ओ0पी0**	0.86	1.32
5	**एस0एस0पी0**	2.46	3.50
योग		59.45	60.25

भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 से पी0एम0 प्रणाम योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत एकीकृत तत्व प्रबन्धन करते हुए रासायनिक उर्वरकों का संतुलित मात्रा में फसलों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाये, यूरिया एवं डी0ए0पी0 के वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग किया जाये, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0) के कम उपयोग के फलस्वरूप अनुदान के रूप में बचत की धनराशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को दिया जाना प्रस्तावित है। राज्यों को दिये जाने वाले ग्रान्ट का 95 प्रतिशत राज्य सरकार को एवं 5 प्रतिशत उर्वरक विभाग, भारत सरकार को प्रचार-प्रसार मद में दिया जायेगा। राज्य के द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का 65 प्रतिशत पूँजीगत व्यय (Capex Projects) में तथा 30 प्रतिशत राज्य की विशिष्ट गतिविधियों के लिये अनटाईड फण्ड (Untied Funds for state specific activities) में किया जायेगा।

अत: समस्त जनपदों की विगत 03 वर्षों की माहवार, उर्वरकवार बिक्री की औसत मात्रा में 2.40 प्रतिशत बचत करते हुए यूरिया उर्वरक 36.13 लाख मी0टन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है तथा 15.48 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 3.82 लाख मी0टन एन0पी0के0, 1.32 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 तथा 3.50 लाख मी0टन सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) का प्रस्तावित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का निर्धारित मूल्य पर वितरण हो। कालाबाजारी, इण्डस्ट्रीयल डायवर्जन, जमाखोरी तथा अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली तस्करी पर कठोरता से नियंत्रण किया जाये। विगत वर्षों की भाँति आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती करते हुए उनकी देख-रेख में कृषकों को उनकी कृषित भूमि/फसल हेतु निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर ही करवाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के पोर्टल (IFMS) पर उर्वरकों की बिक्री हेतु पावती (एक्नालेजमेन्ट) की व्यवस्था के दृष्टिगत उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता एवं थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों की पावती (एक्नालेजमेन्ट) की व्यवस्था भौतिक रूप से स्टाफ प्राप्त होते ही तत्समय की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ-साथ ही डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरकों का प्रेषण होता है वैसै ही आनलाईन प्रणाली को भी अध्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमे विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृषकों के द्वारा फसल पर लगभग 40 दिन की अवस्था में दानेदार यूरिया की द्वितीय टाप ड्रेसिंग में दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो तरल यूरिया का स्प्रे मशीन द्वारा छिड़काव कराये जाने हेतु कृषकों में जागरूकता हेतु जनपद, ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठियों में एवं किसान पाठशालाओं के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार कराया जाये। **जनपदवार उर्वरकों के संस्थावार लक्ष्य संलग्नक-3 पर दर्शाये गये हैं।**

20. **फसली ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्थाः-**

रबी 2022-23 में रू0 82513.32 करोड़ का फसली ऋण कृषकों को दिया गया था। वर्तमान वर्ष रबी 2023-24 में रू0 101000.93 करोड़ की व्यवस्था की जानी है। कृषकों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023-24 में 61.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता पर वितरित कराये जाने हैं, जिसमें से 31.07.2023 तक 19.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (नवीनीकरण व नये) किया जा चुका है। कृषकों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराते हुए उन्हें समय से फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। **जनपदवार किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य संलग्नक-4 व फसली ऋणलक्ष्य संलग्नक-5 पर दर्शाये गये हैं।**

21. **कृषि रक्षा रसायनः-**

रबी वर्ष 2022-23 में 11000.00 मै0 टन/किली0 लक्ष्य के सापेक्ष 10246.92 मै0 टन/किली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कृषकों में कराया गया था। वर्ष 2023-24 में अधिकाधिक क्षेत्रफल में आई0पी0एम0 कार्यक्रम चलाने एवं किसानोपयोगी कार्यक्रमों के दृष्टिगत 11140.00 मै0 टन/किली0 कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है, जिससे प्रदेश के समस्त कृषक फसल सुरक्षा उपायों को अपना सके ।

(अ) संस्थावार, वर्गवार कृषि रक्षा रसायनों के वितरण के लक्ष्य रबी 2023-24

क्र0 सं0	रसायन वर्ग	इकाई	रबी 2022-23 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	संस्थावार प्रस्तावित लक्ष्य रबी 2023-24				
				कृषि 25%	पी0सी0एफ0 12.50%	एग्रो 12.50%	निजी 50%	कुल योग 100%
1	कीटनाशक धूल/दानेदार	मे0 टन	3180.84	860.00	430.00	430.00	1720.00	3440.00
2	कीटनाशक तरल	कि0ली0	746.88	185.00	92.50	92.50	370.00	740.00
3	फफूँदनाशक	मे0टन/कि0ली	1029.96	255.00	127.50	127.50	510.00	1020.00
4	तृणनाशक	मे0टन/कि0ली0	2053.46	580.00	290.00	290.00	1160.00	2320.00
5	मूषनाशक/ धूम्रक	मे0टन	98.84	30.00	0.00	0.00	90.00	12.00
6	बायोपेस्टीसाइड्स	मे0टन/कि0ली0	3136.94	875.00	437.50	437.50	1750.00	3500.00
योग			10246.92	2785.00	1377.50	1377.50	5600.00	11140.00

जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य संलग्नक-6 पर दर्शाये गये हैं।

(ब) बायोपेस्टीसाइड एवं बायोएजेण्ट वितरण के लक्ष्य रबी 2023-24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स एवं बायोएजेण्ट	इकाई	रबी 2022-23 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	प्रस्तावित लक्ष्य 2023-24 (समस्त स्रोतों द्वारा)
1.	**बायोपेस्टीसाइड्स**	कि0ली0/मे0टन	3136.94	3500
2.	**बायोएजेण्ट (ट्राइकोग्राम कार्ड)**	संख्या	19032.00	108000

जनपदवार वितरण के लक्ष्य संलग्नक-7 पर दर्शाये गये हैं।

22. **<u>कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारिणीः-</u>**

रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुवाई से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है। कृषि निवेशों की आपूर्ति निम्न समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

(1) **बीज की आपूर्ति हेतु समय सारिणीः-**

क्रम सं0	प्रमाणित बीज का नाम	जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की तिथि	बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की तिथि
1	**तोरिया**	31 अगस्त	05 सितम्बर
2	**राई/सरसों**	20 सितम्बर	30 सितम्बर
3	**अलसी**	30 सितम्बर	10 अक्टूबर
4	**चना**	20 सितम्बर	05 अक्टूबर
5	**मटर व मसूर**	20 सितम्बर	05 अक्टूबर
6	**गेहूँ**	20 अक्टूबर	25 अक्टूबर
7	**जौ**	15 अक्टूबर	20 अक्टूबर

कृषि निदेशालय स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि समय से आवंटन तथा जनपदों में आपूर्ति समय से हो तथा मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी यह देखेंगे कि विक्री केन्द्रो पर बुवाई के समय के 15 दिन पूर्व बीज उपलब्ध हो।

(2) **उर्वरकों की आपूर्तिः-**

जनपदों को माहवार लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार एवं प्रदायकर्ताओं से जैसे-जैसेउर्वरकोंकी आपूर्ति प्रदेश को प्राप्त होगी, जनपदों को **उर्वरक**आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

निम्न व्यवस्था के अनुसारउर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों का विभिन्न स्तर तक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है:-

स्तर	उ0प्र0 सहकारी संघ	यू0पी0 स्टेट एग्रो	गन्ना संघ	कृषि विभाग
राज्य स्तर	निबंधक सहकारी समितियां	प्रबन्ध निदेशक	गन्ना आयुक्त	कृषि निदेशक
मण्डल स्तर	उप नि0 सहकारी समितियां	क्षेत्रीय प्रबन्धक	संयुक्त/उपगन्ना आयुक्त	संयुक्त कृषि निदेशक
जनपद स्तर	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां	जिला प्रबन्धक	जिला गन्ना अधिकारी	उप कृषि निदेशक/ जिला कृषि अधिकारी
विकास खण्डस्तर	स0वि0अ0	प्रभारी बिक्री केन्द्र	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी0
उर्वरक बिक्री केन्द्र स्तर	सचिव,सहकारी समितियां	-	सचिव, गन्ना समिति	प्रभारी बीज भण्डार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23. **<u>फसल सघनता में वृद्धि</u>**:- फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को वर्ष में न्यूनतम दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढ़ाने हेतु रबी में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैः-

- खरीफ में बुवाई से खाली खेतों में तोरिया/लाही की बुवाई हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय।
- जिन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो रही है वहॉ गन्ने से खाली होने वाले खेतों में तथा शीघ्र पकने वाली अरहर से खाली खेतों में, विलम्ब की दशा में बोई जाने वाली गेहूँ की प्रजातियों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाय।
- ऐसे क्षेत्रफल जहाँ अभी भी खरीफ की फसल के बाद कृषक खेत को खाली छोड़ देते है। इन क्षेत्रों को चिन्हित कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी में विभिन्न फसलों से आच्छादित किया जाय ।
- जनपद देवरिया, कुशीनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर, खीरी एवं जौनपुर में रबी मक्का की खेती होती है। इन क्षेत्रों में संकर मक्का (Quality Protein Maize) की खेती को प्रोत्साहित किया जाय ।
- विशेषकर अगेती आलू के उपरान्त विलम्ब से बोयी जाने वाली गेहूँ, सूरजमुखी अथवा कद्दू की फसलों की बुवाई कर फसल सघनता में वृद्धि की जा सकती है।

24. **<u>उत्पादकता में वृद्धि</u>**:-

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूँ की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। जलवायुविक भिन्नताओं, संसाधनों की कमी, कृषि निवेशों के असंतुलित प्रयोग तथा उन्नत तकनीक का पूरा लाभ न लेने के कारण प्रदेश में गेहूँ की उत्पादकता पंजाब एवं हरियाणा की अपेक्षा कम है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों की विभिन्न फसलों की उत्पादकता में भी भारी अन्तर है। उत्पादकता वृद्धि हेतु निम्न बिन्दुओं को संज्ञानित कर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगाः-

- न्यूनतम उत्पादकता वाले ब्लाक/न्याय पंचायत के सम्बन्ध में भी समुचित रणनीति बनाकर त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की ब्लाक/न्याय पंचायतवार उत्पादकता को आधार मानकर योजनायें बनाकर सघन पद्धतियों को लागू किया जाय।
- क्षेत्रीय अनुकूलता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर फसलों एवं प्रजातियों का चयन कर कृषि की उन्नत प्राविधिकी का प्रयोग कर उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु जनपद पर समुचित रणनीति तैयार की जाय।
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, सिंचाई विभाग एवं नलकूप विभाग फसलोत्पादन के समय बिजली की आपूर्ति, नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी चलने, सरकारी नलकूपों को कार्यरत रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- बीज शोधन के उपरान्त ही बीज की बुआई हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मृदा परीक्षण के उपरान्त करना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है। अतः इस पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।
- फसलों को समयान्तर्गत खरपतवार, कीड़े एवं बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक निदानात्मक कार्यवाही एवं सघन प्रशिक्षण अभियान चलाये जायें।

25. **<u>कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्था</u>**:-

रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था अनिवार्यतः बुवाई से पूर्व कर लेना अत्यावश्यक है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समय से बीज वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार एवं फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाय। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु संसाधन, ऋण व्यवस्था एवं जिला योजना के अन्तर्गत चल रहे अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से कृषकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को प्रदत्त सुविधायें प्रदान करायी जाय। विभिन्न कृषि निवेशो की संस्थावार मांग उपलब्धता तथा पूर्ति व्यवस्था को जनपद की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाय। विशेष रूप से दलहनी-तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु बुवाई से पूर्व ही बिक्री केन्दों पर पर्याप्त मात्रा में बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

क- <u>उन्नतशील प्रमाणित बीज</u>:-

कृषि उपज वृद्धि में प्रमाणित एवं अधिक उपजदायी प्रजाति के बीज का विशेष योगदान है। विगत रबी में बीज प्रतिस्थापन की दर 46.00 प्रतिशत प्राप्त की गयी है। वर्तमान रबी में इसे विगत वर्ष के बराबर 46.00 प्रतिशत ही रखना प्रस्तावित है। कृषक अब भी काफी बड़े क्षेत्र में अपना ही बीज बोते हैं। अतः कृषको को प्रमाणित एवं अधिक उपजदायी प्रजातियों की ओर आकृष्ट करने के लिए इनकी व्यवस्था बिक्री केन्द्रों से ही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें इन बीजों के लाभ से भी परिचित कराया जाय। प्रमाणित बीजों की प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु संलग्नक-02 के अनुसार बीज वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। "बीज ग्राम" योजना के अन्तर्गत भी बीज उत्पादन कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय, ताकि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध हो सके ।

ख- <u>कृषि रक्षा कार्यक्रम</u>:-

फसल उत्पादन में एक ओर जहाँ बीजों एवं उर्वरकों का महत्व है, वहीं फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा कार्यक्रमों को अपनाया जाना भी अति आवश्यक है। कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों की तुलना में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का महत्व अधिक हो गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से प्रदूषण में कमी के साथ-साथ इनकी रेजीडुअल टाक्सीसिटी नगण्य होती है, परिणाम स्वरूप फसलों के कीट/रोगों से सुरक्षा हेतु इनके उपयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिन क्षेत्रों में इनका प्रयोग हो रहा है, वहाँ न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है, अपितु मानव स्वास्थ्य सुधार एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी पर्याप्त सफलता मिली है।

बायोपेस्टीसाइड्स यथा ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हारजिएनम, ब्यूवेरिया वैसियाना, बी0टी0, वर्टीसीलियम लेकानी, एन0पी0वी0 एवं बायोएजेण्ट्स यथा ट्राइकोग्रामा कार्ड का उत्पादन भारत सरकार के केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र, लखनऊ एवं गोरखपुर तथा प्रदेश की 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। विभागीय 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में ट्राइकोडरमा हरजिएनम 2 प्रतिशत डब्ल्यू0पी0, ब्यूवेरिया वैसियाना 1 प्रतिशत डब्ल्यू पी0 एवं एन0पी0वी0 (एच0) 2 प्रतिशत ए0एस0 के उत्पादन हेतु कृषि विभाग द्वारा उत्पादन लाइसेन्स भी निर्गत है।

वर्तमान में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। प्रदेश में कृषि रक्षा रसायनों एवं बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर प्रयास किये जा रहे है। रबी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत फसल सुरक्षा हेतु इसके प्रयोग पर समुचित बल दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रत्येक स्तर पर अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हुए कृषि निवेशों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित करायें। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के प्रदर्शनों में आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में उत्पादित बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का प्रयोग किया जाय।

26. **<u>कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन</u>:-**

कृषि उत्पादन वृद्धि में समय प्रबन्धन के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके उपयोग से श्रम, धन व समय की बचत तथा लागत में कमी के साथ-साथ उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल अवशेषो को खेतों में जलाने से रोकने से फसल अवशेष प्रबन्धन करते हुए मृदा स्वास्थ्य में सुधार भी सम्भव होता है। भारत सरकार द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन, एन0एफ0एस0एम0(ओ0एस0) एन0एफ0 एस0एम0, विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों के अन्तर्गत कीट/रोग नियंत्रण एवं तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत कृषकों को मानव/शक्ति चालित एवं सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्रों पर अनुदान की समुचित व्यवस्था है, इसका लाभ कृषकों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क- सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजिड्यू योजनाः-

प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत जोत 0.73 हे0 है। अलाभकारी जोत होने के कारण कृषि यंत्रीकरण की प्रगति धीमी है। प्रदेश में कृषि विभाग के माध्यम से रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर हैप्पी सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0 प्लाऊ, पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रो का वितरण कराया जा रहा है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उन्नतिशील कृषि यंत्रों का अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिससे कृषकों को इनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहन मिलता है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में 34673 कृषि यंत्र, 1000 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 1100 फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना कराने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों का चयन शीघ्रातिशीघ्र कराते हुए इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

ख- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनाः-

1. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के विभिन्न घटक-**

1.1 फाइनेंशियल असिस्टेन्स फार प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट (घटक संख्या-3)-

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यन्त्रों जैसे-स्ट्रा रीपर, रोटावेटर, पावर टीलर, लेजर लैण्ड लेवलर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, ऑयल मिल विद फिल्टर पे्रस, हैरो, फ्रूट ग्रेडर, ग्राउन्ड नट पाड स्ट्रीपर, स्ट्राचापर, कल्टीवेटर, नैपसेक स्प्रैयर, पावर आपरेटेड स्प्रैयर इत्यादि क्रय कर सकें। अतः प्रदेश के कृषकों तक कृषि यन्त्रीकरण का लाभ पहुंचाने हेतु योजनान्तर्गत अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य धनराशि की सीमा दोनो में से जो कम हो देय होगा तथा अन्य कृषकों को अधिकतम 40 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य धनराशि की सीमा दोनो में से जो कम हो, यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना (घटक संख्या-4)-

विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), किसान सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0 ओ0) एवं पंचायत लाभार्थियों को परियोजना लागत (अधिकतम 10 लाख) का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4 लाख तक देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नतशील कृषि यन्त्रों को प्राप्त कर अपने खेतों में कृषि कार्य समय पर एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान का पैटर्न-

धनराशि रू0 में

क्र0 सं0	कृषि यंत्र का प्रकार	एस0सी0/एस0टी0 लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र	अधिककतम अनुदान का प्रतिशत	अन्य कृषक हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र	अन्य कृषक लाभार्थी हेतु अधिकतम अनुदान का प्रतिशत
1	पशु चालित	10000	50%	8000	40%
2	विकल्प साइथ	2000	50%	1600	40%
3	चैफ कटर	5000	50%	4000	40%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	ड्रम सीडर	4000	50%	3000	40%
5	हस्तचालित स्प्रैयर	750	50%	600	40%
6	इको फ्रेन्डली लाइट ट्रैप	1500	50%	1200	40%
अ	शक्ति चालित कृषि यंत्र				
7	लेजर लैण्ड लेवलर	200000	50%	160000	40%
8	पोस्ट होल डीगर	40000	50%	32000	40%
9	पोटैटो प्लान्टर	40000	50%	32000	40%
10	पोटैटो डीगर	40000	50%	32000	40%
11	शुगर केन कटर प्लान्टर	75000	50%	60000	40%
12	शुगर केन थ्रेस कटर	40000	50%	30000	40%
13	शुगर केन रेटून मैनेजर	125000	50%	100000	40%
14	हैरो	30000	50%	25000	40%
15	कल्टीवेटर	30000	50%	25000	40%
16	पावर स्प्रैयर	3800	50%	3000	40%
17	मल्टीक्राप थ्रैसर	40000	50%	30000	40%
18	पावर चैफ कटर	28000	50%	22000	40%
19	स्ट्रा रीपर	75000	50%	60000	40%
20	ब्रस कटर	30000	50%	25000	40%
21	मिनी राइस मिल	240000	60%	200000	50%
22	मिनी दाल मिल	150000	60%	125000	50%
23	मिलेट मिल	540000	60%	450000	50%
24	सेलर ड्रायर	350000	60%	300000	50%
25	ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस	300000	60%	250000	50%
26	पैकिंग मशीन	300000	60%	240000	50%
27	रोटावेटर	42000	50%	34000	40%
28	रेज्ड वेड प्लान्टर	40000	50%	32000	40%
29	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	37000	50%	28000	40%
30	बिक्रेड मेकिंग मशीन	290000	50%	232000	40%
31	यूरिया डीप प्लेसमेन्ट एप्लीकेटर	75000	50%	60000	40%
ब.	**सेल्फ प्रोपेल्ड यन्त्र**				
32	पावर टिलर	85000	50%	70000	40%
33	पावर वीडर	25000	50%	20000	40%
34	कम्बाइन हारवेस्टर विथ सुपर एस0एम0एस0	856000	50%	685000	40%
35	राइस ट्रान्सप्लान्टर	150000	50%	120000	40%

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक यन्त्रों पर देय अनुदान का पैटर्न-

क्रमांक	कृषि यंत्र का प्रकार	अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत
1	कृषि ड्रोन (कृषि स्नातक)	500000	50%
2	कृषि ड्रोन समिति/(एफ0पी0ओ0)	400000	40%

2. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजना-

2.1 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना-

- विकास खण्ड/तहसील/जिलों में ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किसान सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) एवं पंचायत लाभार्थी होगे।
- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना में रू0 5 लाख तक के परियोजना लागत के अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों जैसे-सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रम मास्टर, पैडी स्ट्राचार, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेवल एम0बी0 प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्राप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइण्डर (कृषि विभाग उ0प्र0 द्वारा इम्पैनल्ड कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता से क्रय करना अनिवार्य होगा) में से कम से कम कोई दो कृषि यन्त्र खरीदना अनिवार्य होगा, जिस पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख) अनुदान देय होगा। यह फार्म मशीनरी बैक वर्तमान में ग्राम पंचायत सहकारी समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे है।
- रू0 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों पर अधिकतम रू0 5 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख) अनुदान इन-सीटू योजना से तथा ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्राप थ्रेसर, पैडी ट्रान्स प्लान्टर इत्यादि अन्य कृषि यन्त्रों हेतु अधिकतम रू0 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 8 लाख) अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत देय होगा।
- रू0 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के अन्तर्गत परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट के कृषि यन्त्रों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

2.2 प्रोक्योरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट फॉर इन सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट-

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि अधिक लागत के इन सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट हेतु उपयोगी आधुनिक कृषि यन्त्रो जैसे- सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम टू बी अटैच विद इक्जीस्टिंग कम्बाइन हार्वेस्टर, हैपी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर, रोटरी स्लैसर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, स्ट्रा रीपर, रीपर कम बाइण्डर, क्रय कर सकें। योजनान्तर्गत कृषकों को इम्पैनल्ड कम्पनियों से यन्त्र क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम् अनुमन्य सीमा दोनो में से जो कम हो देय होगा।

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में देय अनुदान का पैटर्न

धनराशि रू0 में

क्रम	घटक-2 कृषि यन्त्रों का विवरण	यन्त्रों का अनुमानित	अनुदान की दर अधिकतम रू0 में	अधिकतम अनुदान का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मूल्य		प्रतिशत
	सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ	108580	54290	50%
	हैप्पी सीडर-			
	9 टाइन	148000	74000	50%
	10 टाइन	153000	76500	50%
	11 टाइन	157000	78500	50%
	12 टाइन	164000	82000	50%
	पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर-			
	(क) माउण्टेड टाइप स्ट्राचापर एण्ड मल्चर-			
	5 फिट	148000	74000	50%
	6 फिट	156000	78000	50%
	7 फिट	164000	82000	50%
	8 फिट	173000	86500	50%
	(ख) ट्रेल्ड टाइप	268000	134000	50%
	श्रव मास्टर/रोटरी स्लेशर	44750	22375	50%
	हाइड्रोलिक रिवर्सेवुल एम0बी0 प्लाऊ			
	(क) 2 बाटम	142500	71250	50%
	(ख) 3 बाटम	185500	92750	50%
	(ग) 4 बाटम	228500	114250	50%
	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल-			
	9 टाइन	45000	22500	50%
	11 टाइन	51200	25600	50%
	13 टाइन	56000	28000	50%
	15 टाइन	60000	30000	50%
	सुपर सीडर	210000	105000	50%
	बेलिंग मशीन			
	बेलर (राउण्ड–मिनी-14 कि0ग्रा0 से कम प्रति बेल)	300000	150000	50%
	बेलर (राउण्ड–बिग-16-25 कि0ग्रा0 से अधिक प्रति बेल)	1100000	550000	50%
	बेलर (राउण्ड –चेरी बिग-180-200 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	1800000	900000	50%
	बेलर (राउण्ड –रेक्टेनंगुलर-18-20 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	1200000	600000	50%
	स्ट्रा रेक	300000	150000	50%
	क्राप रीपर			
	ट्रेक्टर माउण्टेड	150000	75000	50%
	सेल्फ-प्रोपेल्ड	150000	75000	50%
	सेल्फ-प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर(3 व्हील)	350000	175000	50%
	सेल्फ-प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर (4 व्हील)	500000	250000	50%

http://shasanadesh.up.gov.in

2.3 **इन्फार्मेशन, एजूकेशन एवं कम्युनिकेशन फॉर अवेयरनेस ऑन इन सीटू क्रॉप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट-**

इस घटक का उद्देश्य फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए किसानों में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागृत करना है। इस घटक के अन्तर्गत विभिन्न मदों द्वारा न्याय पंचायत स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर गोष्ठी के आयोजन, लिफलेट्स, पर्मानेन्ट होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियों जिंगलस्, दूरदर्शन पर ऑडियो-विडियो क्लिप्स तथा प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है तथा उनको न जलाने से भूमि एवं पर्यावरण में जो सुधार होगा, उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जाना तथा इससे उत्पादन में वृद्धि से भी अवगत कराया जाना है, क्योंकि फसल अवशेष न जलाने से जो जैविक पदार्थ खेतों में मिलेंगे उससे खेतों में जीवांश पदार्थ की बढ़ोत्तरी होगी। **विस्तृत विवरण संलग्नक-8 के अनुरूप हैं।**

27. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत गेहूँ, दलहन के उत्पादन एवं उत्पाकदता मे वृद्धि हेतु फसल प्रदर्शन, बीज वितरण, कृषि यंत्रो, सिंचाई साधनो (पाईप्स, पम्प सेट), आई0एन0एम0, आई0पी0एम0 प्रदर्शन, कृषि रक्षा उपकरण, बीज गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, बखारी आदि के वितरण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2007-08 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" को प्रारम्भ किया गया। वर्तमान वर्ष 2022-23 में धान घटक 21 जनपदों, गेहूं घटक 29 जनपदों, दलहन समस्त प्रदेश, कोर्स सीरियल 28 जनपदों, न्यूट्री सीरियल 24 जनपदों तथा कामर्शियल क्राप्स-कपास 04 जनपदो, जूट 05 जनपदो एवं गन्ना 26 जनपदों में लागू है। गेहू के बीज पर 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 20 प्रति कि.ग्रा. तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 10 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान एक किसान को अधिकतम 02 हे0 की सीमा तक ही देय होगा।

दलहनी फसलों- चना, मटर, मसूर की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 50 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 25 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान एक किसान को अधिकतम 02 हे0 की सीमा तक ही देय होगा।

गेहूं एवं दलहन घटक में कृषि यंत्रीकरण के वर्ष 2023-24 के लक्ष्यः-

क्र0 सं0	कृषि यंत्र का नाम	वर्ष 2023-24 के लक्ष्य (सं0)	
		गेहूं घटक	दलहन घटक
1	जीरोटिल सीडड्रिल	9	80
2	रोटावेटर	263	860
3	सीडड्रिल	36	1040
4	मल्टीक्रॉप थ्रेसर	35	132
5	लेजर लैण्ड लेवलर	14	96
6	मैनुअल स्प्रेयर	230	950
7	पावर नैपसेक स्प्रेयर	158	1011
योग		**745**	**4169**

28. **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर(एन0एम0एस0ए0)-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृषि उत्पादकता को सतत् बनाना प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादकता को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् प्रयोग को बढ़ावा देकर इस्तेमाल योग्य बनाए रखा जा सकता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तीन मुख्य घटक हैः-

क- रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

ख- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अन्तर्गत गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान:-

ग- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Soil Health and Fertility कार्यक्रम:-

क- **रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)-**

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में संचालित 57 भूमि संरक्षण ईकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत एक कृषक परिवार को 2 हे0 जोत सीमा तक सम्पूर्ण योजना काल में अधिकतम रू0 100000.00 (एक लाख मात्र) का अनुदान देय है, जो कि विभिन्न कृषि प्रणाली यथा- दुग्ध आधारित, बागवानी आधारित, पशुधन आधारित, कृषि वानिकी एवं मत्स्य आधारित और मूल्य सम्वर्द्धन के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस, वर्मी कम्पोस्ट, साइलेज मेकिंग, पोस्ट हारवेस्ट स्ट्रक्चर कार्यो पर 50 प्रतिशत का अनुदान देय है। योजना अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 234 क्लस्टरों के अन्तर्गत 12020.50 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार 6480 हे0 क्षेत्रफल आच्छादित किया गया था तथा 21502 के सापेक्ष 10314 लाभार्थी कृषक लाभान्वित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु चयनित जनपदों में कुल 12740.14 हे0 क्षेत्रफल में क्लस्टरम आधार पर 20627 किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

ख- **नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अन्तर्गत गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान:-**

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अन्तर्गत प्रदेश में बुन्देलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों (07) में वर्ष 2022 से क्रियान्वित है। प्राकृतिक खेती पद्धति में खेती-बाड़ी में प्रयोग किये जाने वाले समस्त निवेश किसान स्वंय तैयार करता है तथा बाह्य किसी भी पोषक तत्व अथवा कृषि रक्षा से सम्बन्धित रसायन का प्रयोग नहीं करता है। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि गाय के गोबर और मूत्र के उपयोग से ही सभी प्रकार के निवेश तैयार किये जाते है। इससे लागत में कमी आती है साथ ही मृदा स्वास्थ्य का सम्वर्धन भी होता है। प्राकृतिक खेती पद्धति से उपज गुणकारी होता है।

बुन्दलेखण्ड जोन में वर्ष 2022 में 235 क्लस्टर में 11750 हैक्टेयर का चयन कर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती किया गया तथा वर्ष 2023 में अतिरिक्त 235 क्लस्टर का चयन करते हुए 11750 हैक्टर को गौ-आधारित खेती में आच्छादन किया गया है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड जोन में 470 क्लस्टर में कुल 23500 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है तथा रू0 24-59 करोड़ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है। प्राकृतिक खेती योजना के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर 15000 रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार की तरफ से देय है, जिसमें प्रमुख रुप से बीज व्यवस्था से लेकर जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी आदि की तैयारी पर व्यय होता है जिसे क्लस्टर के किसान द्वारा किया जाता है जिसकी पूर्ति कृषि विभाग के पारदर्शी व्यवस्था (डी0बी0टी0) द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के विस्तार हेतु 49 जनपदों के 85710 हैक्टेयर में आरम्भिक तैयारी की गई है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त योजना का विस्तार किया जायेगा।

पी0के0वी0वाई0 (परम्परागत कृषि विकास योजना) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 63 जनपदों में 1785 क्लस्टर में 35700 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है तथा कुल वित्तीय लक्ष्य रू0 75.3 करोड़ है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत किसान पोषक तत्व प्रबन्धन हेतु वर्मी कम्पोस्ट, प्रोम, जैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उर्वरक, हरी खाद, कम्पोस्ट के साथ-साथ जीवामृत एवं घनजीवामृत का भी प्रयोग करता है तथा पादप रक्षा हेतु आई0पी0एम0 के साथ-साथ दशपर्णी, नीमास्त्र का प्रयोग करता है। जैविक उपज का प्रमाणीकरण पी0जी0एस0 द्वारा किया जाता है। जिसकी सुविधा योजनान्तर्गत प्राविधानित है।

प्रदेश में स्वस्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 27 जनपद जो गंगा के किनारे बसे हुए है गंगा के दोनों तटों के 07 किलोमीटर के क्षेत्रफल में योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित 3309 क्लस्टर (66180 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही (2870 नये क्लस्टर 57400 हे0 क्षेत्रफल) में भी कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल वित्तीय लक्ष्य रू0 225.43 करोड़ है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक सम्पदायें प्रदूषण से मुक्त हो तथा संसाधनों का संरक्षण हो सके। इसलिए दोनों कार्यक्रमों में सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग वर्जित है। इससे नदियों का जल, मृदा तथा वायुमण्डल प्रदूषण के प्रभाव से मुक्त हो सकेगें। नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 62200 हैक्टर क्षेत्रफल के विस्तार में 23510 हैक्टेयर क्षेत्रफल को भी बढ़ाने की योजना है। इस योजना की अवधि तीन वर्ष है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष में रु0 3,30,000/- द्वितीय वर्ष में रु0 3,40,000/- एवं तृतीय वर्ष में रु0 3,30,000/- (तीन वर्षो हेतु कुल रु0 10,00,000/-) की सुविधा क्षमता विकास, फसल प्रबन्धन एवं सुरक्षा, जैविक प्रमाणीकरण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन पर व्यय प्राविधानित है। जिसमें से 62 प्रतिशत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को बायो इनपुट प्रबन्धन एवं फसल सुरक्षा पर देय है। क्लस्टर में चयनित कृषकों को अधिकतम 02 हे0 क्षेत्रफल की सीमा तक क्लस्टर में जोड़ने की व्यवस्था दी गई है।

ग- **<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Soil Health and Fertility कार्यक्रम:-</u>**

वर्ष 2022-23 की उपलब्धि- योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में 5.93 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण कराया गया।

वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित लक्ष्य-

योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश की 4851 ग्राम पंचायतों से 4.85 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण, विश्लेषण कर कृषकों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ 05 जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

29. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक (पर ड्राप मोर क्राप) के उपघटक अदर इण्टरवेन्शन के अन्तर्गत वर्षा जल <u>संचयन हेतु खेत तालाब की योजनाः-</u>**

<u>प्रस्तावनाः-</u>

प्रदेश के बुन्देलखण्ड, विन्ध्य तथा जनपद प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में औसत सामान्य वार्षिक वर्षा 875 मिमी0 है। वर्षा ऋतु में लगभग 50 से 55 दिन में ही पूरी वर्षा हो जाती है तथा इसका वितरण भी अत्यन्त ही असमान होता है। विगत वर्षों के वर्षा के स्वरूप **(Rainfall Pattern)** के आधार पर यह देखा गया है कि माह अगस्त के किसी एक सप्ताह के 01 अथवा 02 दिनों में ही कुल वर्षा की लगभग 40 प्रतिशत वर्षा हो जाती है। वर्षा जल का अपवाह **(Rain off)** अत्यधिक होने से अधिकांश जल बहकर नदी एवं नालों में चला जाता है तथा जल के साथ-साथ मृदा भी कटकर चली जाती है जिससे उपजाऊ भूमि का क्षरण अधिक होता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में भी भू-गर्भ जलस्तर का स्तर न्यून होने के कारण सिंचाई की समस्या के साथ-साथ पेयजल की समस्या भी गम्भीर होती जा रही है। अतः इस वर्षा जल का अधिक से अधिक मात्रा में खेत तालाब के माध्यम से संचयन करके संचित जल से अधिकाधिक क्षेत्र की सिंचाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करते हुये अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मनुष्यों तथा जानवरों के लिए पेय जल की सुविधा प्राप्त हो सकती है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में विगत वर्षो से खारे पानी की समस्या काफी अधिक होने के कारण वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है तथा भू-जल स्तर में कमी हो रही है जिसके फलस्वरूप सिंचाई के विभिन्न स्रोतों की सिंचन क्षमता कम होती जा रही है तथा वर्षा जल में कमी एवं इसके संचालन की व्यवस्था न होने के कारण भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन एवं संरक्षण के साथ ही इनके सम्यक एवं वैज्ञानिक उपयोग पर भी विशेष बल दिया जायेगा। उक्त हेतु कृषकों को उपयुक्त सिंचाई की विधियों यथा स्प्रिंकलर सिंचाई/ड्रिप सिंचाई आदि के बारे मे तकनीकी रूप से अवगत कराते हुए उक्त सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। खेत तालाब निर्माण एवं वर्षा जल के सम्यक उपयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण भी कराये जा रहे है।

<u>योजना के उद्देश्य :-</u>

1. वर्षा के जल को अधिकाधिक संचित कर पलेवा अथवा जीवनदायनी सिंचाई हेतु प्रयोग करना।
2. संचित वर्षा जल को स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली व सुरक्षित जल संवाहक प्रणाली द्वारा खेतो तक पहुंचाना, जिससे जल का ह्रास कम से कम हो एवं उपलब्ध जल से अधिकाधिक क्षेत्र की सिंचाई भी हो सके।
3. वैकल्पिक कृषि के लिये कृषको को प्रशिक्षित करना जिससे कम पानी के प्रयोग से अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।
4. परियोजना क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर मे वृद्धि।
5. खोदे गये तालाबों में मत्स्य पालन व सिंघाडे की खेती द्वारा रोजगार में वृद्धि।

<u>योजना का कार्य क्षेत्र :-</u>

- प्रदेश के समस्त जनपद (गौतमबुद्धनगर को छोडकर) यथा झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा एवं चित्रकूट, विन्ध्य क्षेत्र में मिर्जापुर, सोनभद्र व प्रयागराज का पठारी क्षेत्र, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्ड एवं पश्चिमी जनपदों के खारे पानी से ग्रस्त विकासखण्ड/जनपद।

<u>योजना का विवरण :-</u>

- योजनान्तर्गत लघु तालाब का आकार 22X20X3 मीटर, प्रति तालाब लागत रू0 1,05,000.00 एवं प्रति तालाब अनुदान रू0 52,500.00 है।
- मध्यम तालाब का आकार 35X30X3 मीटर, प्रति तालाब लागत रू0 2,28,400.00 एवं प्रति तालाब अनुदान रू0 1,14,200.00 है।
- अनुदान का भुगतान लाभार्थी कृषकों के खातों में डी0बी0टी0 द्वारा तीन किश्तों में दिया जाता है।
- प्रति लघु तालाब से 1.0 हे0, मध्यम तालाब से 3.0 हे0 फसल की सिंचाई की जाती है।
- सम्पूर्ण तालाबों की **<u>जियो टैगिंग</u>** करायी जाती है।

<u>योजना की प्रगति (वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक)</u>

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	निर्मित खेत तालाब (संख्या)	अनुदान धनराशि (रू0 करोड़ में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2016-17	2000	12.20
2	2017-18	3384	24.50
3	2018-19	5207	43.22
4	2019-20	5261	38.82
5	2020-21	4427	45.26
6	2021-22	5388	37.04
7	2022-23	6306	63.51

जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-09 पर दर्शाये गए हैं।

30. <u>नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स/टी0बी0ओ0) वर्ष 2023-24:-</u>

<u>योजना का नाम-</u> नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स/टी0बी0ओ0)

<u>योजना का संचालन-</u> प्रदेश की तिलहन संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन आयलसीड्स एण्ड आयलपाम (एन0एम0ओ0ओ0पी0) योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही थी, जो कि वर्ष 2018-19 से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड्स/टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही थी तथा वर्ष 2022-23 से उक्त योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स/टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत तिलहन कार्यक्रम एवं वृक्षजनित तेल कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है:-

<u>तिलहन कार्यक्रमः-</u>

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर तिलहनी फसलों का क्षेत्र विस्तार।
- प्रदेश की मांग के अनुरुप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- लघु एवं सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/महिला कृषकों को इन फसलों के माध्यम से अधिक आय दिलाना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।

<u>कार्यक्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद</u>

<u>वृक्षजनित तेल कार्यक्रमः-</u>

- बंजर भूमि, परती एंव अन्य अनुपयोगी भूमि का उपयोग कर तेलजनित वृक्षों यथा नीम व महुआ के वृक्षारोपण के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि करना।

  कार्यक्षेत्रः- झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपद)।
  - फन्डिंग पैटर्नः- 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश।
  - **(अ)-नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स) योजना वर्ष 2023-24 योजना के अन्तर्गत <u>विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएः-</u>**

क्र.सं0	कार्यमद	अनुदान की दर/देय सहायता
1	प्रमाणित बीज वितरण	15 वर्षो में अधिसूचित समस्त प्रजातियों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4,000/- प्रति कु0 जो भी कम हो तथा 10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वर्षों तक की अधिसूचित संकर प्रजातियों तथा तिल के प्रमाणित बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 8,000/- प्रति कु0 जो कम हो।	
2	फसल प्रदर्शन	**फसल**	**अनुमन्य अनुदान दर**
		तिल	रू0 3,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		मूंगफली	रू0 10,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		सोयाबीन	रू0 6,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		राई/सरसों	रू0 3,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		राई/सरसों विद 'बी-कीपिंग	रू0 5,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		अलसी	रू0 3,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
		सूरजमूखी	रू0 4,000 प्रति हे0 (कैफेटेरया के अनुसार)
3	जी0आई0 बखारी वितरण	1 से 10 कुन्तल तक की क्षमता वाली बखारी हेतु समान जाति के कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1,000/-, जो भी कम हो, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को(बीज ग्राम योजना में अनुमन्य दर के अनुसार) 01 से 10 कुन्तल तक की क्षमता वाली बखारी हेतु मूल्य का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1500/-, जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य होगा।	
4	आई0पी0एम0 प्रदर्शन	आई0पी0एम0 प्रदर्शन अर्न्तगत फार्मर्स फील्ड स्कूल एवं आई0पी0एम0 प्रदर्शन/प्रशिक्षण हेतु कुल रू0 26,700 का अनुदान अनुमन्य है।	
5	कृषक प्रशिक्षण/गोष्ठी	इस मद में रू0 24,000/-(रू0 चौबिस हजार मात्र) प्रति प्रशिक्षण 30 कृषकों के 02 दिवसीय बैच हेतु अनुमन्य है।	
6	प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण	इस मद में रू0 36,000/-(रू0 छत्तीस हजार मात्र) प्रति दो दिवसीय प्रशिक्षण में 20 अधिकारियों के बैच हेतु अनुमन्य है।	
7	जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट एवं सल्फर आदि का वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 500 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य है।	
8	राईजोबियम कल्चर/पी0एस0 बी0/जेड.एस.बी./माइकोराइजा वितरण/बायोफर्टीलाइजर	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 300 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।	
9	कृषि रक्षा रसायन/ इन्सेक्टिसाइड्स/सूक्ष्मतत्व/ तृणनाशी	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।	
10	कृषि रक्षा उपकरण	कृषि रक्षा उपकरण	अनुदान की दर/देय सहायता
		मानव चालित नैपसेक/फूट स्प्रेयर	सामान्य जाति के कृषकों हेतु मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 600 प्रति उपकरण, जो भी कम हो तथा अनु0/ जनजाति/लघु एवं सीमान्त कृषकों को मूल्य का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 750/-प्रति उपकरण जो भी कम हो।
		शक्ति चालित पावर स्प्रेयर (आई0एस0आई0 मार्क)	सामान्य जाति के कृषकों हेतु मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000/- प्रति उपकरण जो भी कम हो तथा अनु0/ जनजाति/लघु एवं सीमान्त कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 3800/- प्रति उपकरण, जो भी कम हो।
11	कृषि यंत्र क- पावर टिलर	सामान्य जाति हेतु रू0 70,000/- या मूल्य का 40 प्रतिशत, अनु0/जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों को रू0 85,000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।	
	ख- कल्टीवेटर	सामान्य जाति हेतु रू0 25,000/- या मूल्य का 40 प्रतिशत, अनु0/जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों को रू0 30,000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।	
	ग- सीड कम फर्टीड्रिल /सीडड्रिल	सामान्य जाति हेतु रू0 16,000/- या मूल्य का 40 प्रतिशत, अनु0/जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों को रू0 20,000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।	
	घ- मल्टीक्राप थ्रेसर	सामान्य जाति हेतु रू0 30,000/- या मूल्य का 40 प्रतिशत, अनु0/जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों को रू0 40,000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।	
	ङ- रोटावेटर	सामान्य जाति हेतु रू0 34,000/- या मूल्य का 40 प्रतिशत, अनु0/जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों को रू0 42000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।	
12	स्माल ऑयल एक्स्ट्रेक्शन यूनिट	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 60,000 प्रति यूनिट की दर से अनुदान अनुमन्य होगा।	
13	सिंचाई जल को स्रोत से खेत तक ले जाने हेतु पाइप का वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 50 प्रति मीटर की दर से एच0डी0पी0ई0 पाइप, रू0 35/- प्रति मीटर की दर से पी0वी0सी0 पाइप तथा रू0 20/- प्रति मीटर की दर से एच0डी0पी0ई0 लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप पर अधिकतम रू0 15,000/-जो भी कम हो।	
14	मण्डल स्तरीय तिलहन मेला	रू0 1,00,000/- प्रति मेला	
15	जनपद स्तरीय तिलहन मेला	रू0 50,000/- प्रति मेला	

- **वृक्ष जनित तेल कार्यक्रम(टी0बी0ओ0) वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधायें**

क्र0सं0	कार्यमद	अनुमन्य अनुदान
1	बंजर, परती एवं अनुपयोगी भूमि पर नर्सरी एवं पौधरोपण	नीम हेतु रू0 17,000 प्रति हे0 एवं महुआ हेतु रू0 15,000 प्रति हे0 अनुदान अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	पौधों के रख रखाव पर व्यय	नीम हेतु रू0 2,000 प्रति हे0 (05 वर्ष) एवं महुआ हेतु रू0 2,000 प्रति हे0 (08 वर्ष) हेतु अनुमन्य।
3	कृषक प्रशिक्षण	इस मद में रू0 24000/-(रू0 चौबीस हजार मात्र) प्रति दो दिवसीय प्रशिक्षण में 30 कृषकों के बैच हेतु अनुदान अनुमन्य है।
4	प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण	इस मद में रू0 36,000/-(रू0 छत्तीस हजार मात्र) प्रति दो दिवसीय प्रशिक्षण में 20 अधिकारियों के बैच हेतु अनुदान अनुमन्य है।
5	स्माल ऑयल एक्सट्रेक्शन यूनिट	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 60,000/-प्रति यूनिट जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य होगा ।

31. **<u>पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना</u>**:-

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग आने से जैसे- शहरीकरण, राष्ट्रीय राज मार्ग/एक्सप्रेस-वे तथा औद्योगिकीकरण/डिफन्स कोरिडोर के निर्माण के कारण कृषि योग्य भूमि निरन्तर घटती जा रही है, जिससे भविष्य में खाद्यान्न की समस्या एवं कृषि विकास दर में कमी आ सकती है। इस कारण प्रदेश का यह दायित्व हो जाता है कि प्रदेश में नदी एवं नालों के किनारे बीहड़ एवं बंजर भूमि को जिसमें अधिकांशत: भूमिहीन कृषकों को पट्टे दिए गए हैं तथा जहाँ पर जल-भराव होता है, उन भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाए। प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने हेतु तथा कृषकों/कृषि मजदूरों की उन्नति के लिए उनको आजीविका/रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शासन द्वारा वर्ष 2022-2023 से 2026-27 तक स्वीकृत की गई है। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 74 जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) स्वीकृत है। योजनान्तर्गत चयनित परियोजना क्षेत्र में शत-प्रतिशत अनुदान पर बीहड़/बंजर भूमि सुधार तथा जल-भराव क्षेत्र का उपचार प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 41395 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 34454 हे0 की पूर्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43850 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 41728 हे0 की पूर्ति हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 43850 हे0 का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य 43850 हे0 में 35600 हे0 राज्य सेक्टर एवं 8250 हे0 मनरेगा के अन्तर्गत है।

32. **<u>आर0के0वी0वाई योजनान्तर्गत संचालित फसल विकास कार्यक्रम</u>**:

इस योजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के चावल में 16 जनपद तथा गेहूँ में 07 जनपद चयनित है। योजना के अन्तर्गत रबी वर्ष 2022-23 में कुल 2100 हे0 क्षेत्र में गेहूँ फसल के (भदोही 200 हे0, महराजगंज 300 हे0, देवरिया 400 हे0, सिद्धार्थनगर 400 हे0, अम्बेडकर नगर 200 हे0, सुल्तानपुर 300 हे0 तथा अमेठी 300 हे0) 100-100 हे0 के कलस्टर प्रदर्शन कराये जायेंगे, जिसमें कैफिटेरिया के अनुसार विभिन्न कार्यमदों में रू0 9000.00 प्रति हे0 अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत 10000 कुं0 उन्नतशील प्रजातियों के बीज का वितरण किया जाना है, जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2000.00 प्रति कु0, जो कम हो, अनुदान देय होगा।

33. **<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</u>**:

राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद (एनडीसी) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपने प्रतिबद्धता/संकल्प के दृष्टिगत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2014-15 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में संचालित की गई है। भारत सरकार स्तर से वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश/राज्यांश) संचालित की जा रही है। वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0वाई0-डी0पी0आर0 एवं ऐनुएल एक्शन प्लान यथा स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टीलिटी, आर0ए0डी0,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पी0के0वी0वाई0, सबमिशन आन एग्रीकल्चर मैनेजमेण्ट, सी0आर0एम0 पर ड्राप मोर क्राप, एग्रो फारेस्ट्री एवं क्राप डायवर्सीफिकेशन स्कीम हेतु पृथक-पृथक एलोकेशन रू0 228.45 करोड़ व रू0 889.05 करोड़, कुल रू0 1117.50 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र स्तर से प्राप्त हुआ है।

12वीं पंचवर्षीय योजना आर0के0वी0वाई का मुख्य उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहित करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायतता प्रदान करना, केन्द्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

प्रदेश स्तर पर केन्द्र स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश दिनांक 27.11.2007 के द्वारा योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति गठित की गई जिसके निर्देशानुसार कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र से संबंधित विभागों/संस्थाओं यथा-कृषि, गन्ना, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, उद्यान, रेशम, लघु सिंचाई, सहकारिता, यू0पी0डास्प एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थायें आदि के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम/परियोजनाएँ क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित स्ट्रीमों के लिए केन्द्र स्तर से निधियाँ प्रदान की जा रही हैं:-

अ- सामान्य आर0के0वी0वाई- रफ्तार- 70 प्रतिशत।

अ-1 अवस्थापना एवं परिसम्पत्ति-70 प्रतिशत का 50 प्रतिशत।

- उत्पादन पूर्व अवस्थापना-20 प्रतिशत।
- उत्पादन पश्चात अवस्थापना- 30 प्रतिशत।

अ-2 मूल्य संवर्द्धन उत्पादक योजनायें- 70 प्रतिशत का 30 प्रतिशत।

अ-3 फ्लैक्सी फण्ड-70 प्रतिशत का 20 प्रतिशत।

ब- आर0के0वी0वाई0- रफ्तार उप परियोजनायें-20 प्रतिशत।

स- अभिनवीकरण तथा कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम-10 प्रतिशत।

34. **<u>मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना</u>**:-

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित किया जायेगा। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में सूक्ष्म तत्वों की कमी मृदा नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों के आधार पर परिलक्षित हो रही है। इस प्रकार प्रदेश में एन0एफ0एस0एम0, एन0एफ0एस0एम0 (ऑयल सीड्स) एवं आर0के0बी0वाई0 योजनाओं में वर्ष 2022-23 में जिप्सम के मूल्य का 75 प्रतिशत (50 प्रतिशत केन्द्रांश+25 प्रतिशत राज्यांश) की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है। कृषकों को अधिकतम 02 हे0 हेतु 06 कुंतल जिप्सम अनुमन्य है। वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड के जनपदों को छोड़कर समस्त जनपदों में 26988 मी0टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

35. **<u>उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण-नियंत्रण</u>**:

उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में लगभग 84700 उर्वरक विक्रय केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं। 69458 बीज विक्रेता तथा 56782 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषको को शुद्ध उर्वरक, कीटनाशी रसायन एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

शुद्ध एवं गुणवत्तापरक कृषि निवेश यथा-उर्वरक/बीज/कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है कि इनमें प्रतिष्ठानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के समय संदिग्ध उर्वरक, बीज एवं कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रक्षा रसायनों के नमूनें गृहीत कर उनका परीक्षण कराया जाए। इनका वार्षिक लक्ष्य क्रमशः उर्वरक-12000, बीज-18000 तथा कृषि रक्षा रसायन-7000 निर्धारित है। इसके लिए आवश्यकतानुसार योजना बनाकर सघन अभियान के रूप में बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण कराया जाए। संदिग्ध उर्वरक/बीज/रसायनों के नमूनें लेकर उनका समय से विशलेषण कराया जाए व दोषी व्यापारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-10 पर दर्शाये गए हैं।**

36. **<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>**:-

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है। योजना में निम्न जोखिमों को कवर किया गया है:-

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थिति के कारण फसल की बुवाई ना कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति,

(ii) खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुश्क स्थिति, बाढ़, ओला, भू-स्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों- रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति,

(iii) फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति,

(iv) खड़ी फसलों को ओला-वृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर), भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति,

(v) फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओला-वृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा व चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

<u>सम्मिलित कृषक:</u>

योजना ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। ऋणी किसानों हेतु योजना Opt-out mode पर लागू है। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर के 07 दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिवार्य रूप से कवर नहीं होगा, अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए गए फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कम्पनी अथवा भारत सरकार के ऑन-लाइन पोर्टल-**www.pmfby.gov.in** के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

<u>बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान</u>:

कृषकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ में फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम दर को खरीफ में बीमित राशि से 02 प्रतिशत तथा रबी में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ/रबी की वार्षिक नकदी फसल हेतु बीमित राशि के 05 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिये 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढ़ी हुई सम्मूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथियां:

खरीफ 2023 के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गयी है तथा आगामी खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि तक बीमा कराया जा सकता है।

फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति का भुगतान:

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसलों पर सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप कृषकों को बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय होती है।

उपरोक्त स्थितियों में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर) भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में व फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में सुखाई हेतु रखी कटी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन स्थितियों में प्रभावित कृषकों को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं, अपने बैंक शाखा अथवा जनपद के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनियों को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

फसल की मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक उपज में क्षति की स्थिति में कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक आंशिक क्षतिपूर्ति तात्कालिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तात्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

जिन ग्राम पंचायतों/फसलों में संभावित उपज में पचास प्रतिशत से अधिक कमी की संभावना हो, उनकी सूची जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हेतु बीमा कंपनियों को दिया जाना आवश्यक है। जनपद स्तर पर गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा निर्धारित अवधि में नियमानुसार सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट बीमा कंपनी एवं कृषि निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिकृत बीमा कम्पनियाँ:-

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कम्पनियों- एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (18 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (10 जनपद), इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (20 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 (08 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (19 जनपद), कुल 75 जनपद को अधिकृत किया गया है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों-कम व अधिक तापमान, कम व अधिक वर्षा, तेज हवा, आर्द्रता से फसल नष्ट होने की संभावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	मौसम	फसल का नाम	चयनित जनपदों के नाम
1	खरीफ	केला	बरेली, शाहजहाँपुर, बिजनौर, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच एवं श्रावस्ती (31 जनपद)
2	खरीफ	मिर्च	मेरठ, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर (22 जनपद)
3	खरीफ	पान	उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई व लखनऊ (07 जनपद)
4	रबी	टमाटर	सहारनपुर, शामली, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, अलीगढ़, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, सम्भल, कन्नौज, कानपुर नगर, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपु (28 जनपद)
5	रबी	शिमला मिर्च	फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखनऊ, बाराबंकी (08 जनपद)
6	रबी	हरी मटर	एटा, कासंगज, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराईच (19 जनपद)
7	रबी	आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती (20 जनपद)

वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के खरीफ मौसम में फसल केला, मिर्च व पान तथा रबी मौसम में टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मटर व आम को बीमित किया गया है।

- **फसलों की क्षति का आंकलन**- जनपद के चयनित ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर क्षति का आंकलन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिस पर तापमान, वर्षा, आर्दता आदि के प्रतिदिन के आंकड़े एकत्रित होते हैं। आंकड़ों में विचलन के आधार पर फसलवार बनाई गई टर्म-शीट के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है।
- **बीमा की इकाई-** योजना में बीमित फसलों की क्षति का आंकलन ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लाक में 2 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित कराये गये हैं।
- **सम्मिलित कृषक**- योजना को सभी कृषकों हेतु स्वैछिक आधार पर लागू किया गया है। । बीमा न कराने की स्थिति में ऋणी किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जाएगा।
- **बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान**- जनपद में फसल की उत्पादन लागत के बराबर बीमित राशि निर्धारित की गयी है। कृषक द्वारा औयानिकी फसलों हेतु बीमित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम दर को वहन किये जाने का प्राविधान है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर से अधिक प्रीमियम दर की

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समस्त धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

- **फसलवार बीमा कराने की अन्तिम तिथि**:-

  केला- 30 जून, मिर्च-31 जुलाई, पान-30 जून, टमाटर-30 नवम्बर, शिमला मिर्च-30 नवम्बर, हरी मटर-30 नवम्बर, आम-15 दिसम्बर।

  अधिकृत बीमा कंपनिया- वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ एवं रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कंपनियों-एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (16 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (05 जनपद), इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (17 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0(06 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (16 जनपद) कुल 60 जनपद को अधिकृत किया गया है।

37. **<u>हरित-क्रान्ति-कृषोन्नति योजना अन्तर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (</u>**SMAE**<u>)</u>**:-

प्रदेश के सभी जनपदों में इस मिशन के अन्तर्गत संचालित "सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस" (**ATMA**) योजना का उद्देश्य प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिक कार्यक्रम को सुदृढ़, विस्तारित एवं उच्चीकृत करना है। प्रदेश में कृषि प्रसार को सुदृढ़ एवं उच्चीकृत करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु निम्न कार्यक्रम लिए जायेंगे:-

- कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन।
- प्रदर्शनों का आयोजन (रबी में 25 प्रदर्शन/विकास खण्ड+8 प्रदर्शन एलाइड सेक्टर/विकास खण्ड)।
- कृषक-वैज्ञानिक संवादों का आयोजन।
- किसान-मेला/कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।
- कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- फार्म स्कूलों का आयोजन (रबी में 03 फार्म स्कूल प्रति विकास खण्ड)।
- कृषक पुरस्कार।
- कृषि से संबंधित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान-प्रसार-कृषक-बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण करना।
- एग्री क्लीनिक एग्री बिजनेस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एग्री प्रीन्यूर्स के माध्यम से प्रसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

नवोन्मेषी कार्यक्रम- (राज्य स्तरीय)-

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट (**MANAGE**के माध्यम से)

इसके अतिरिक्त कृषि प्रसार को विस्तार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसानो तक बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठियों / किसान पाठशाला तथा **"वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ"** जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करायें जायेगें।

38. **<u>मण्डल स्तरीय गोष्ठियों-</u>**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस गोष्ठी में मण्डल स्तर के कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक को आमंत्रित किया जाए। इन प्रशिक्षण के आयोजन की पूर्ण व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जाएगी।

39. **<u>जनपदीय गोष्ठियॉं:-</u>**

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के कृषि एवं विकास कार्यो से संबंधित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड से आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाए।

40. **<u>विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉं:-</u>**

जनपदीय गोष्ठियों में ही विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की तिथियॉं निश्चित कर दी जाए। विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों की आपस में दो-दो टोलियॉं बनाकर उनको विकास खण्ड आवंटित कर दिये जायें। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता परगनाधिकारी/प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाए तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया जाए।

41. किसानों को अधिकाधिक रूप से फसलोत्पादन से संबंधित जानकारियों आदि की वीडियो क्लिीपिंग तैयार कराकर प्रदर्शित कराई जाए तथा सोशल मीडिया संसाधनों यथा-वाट्सऐप, जूम ऐप तथा गूगल मीट ऐप आदि का प्रयोग करते हुए कृषकों को जानकारी दी जाए। इसके अतिरिक्त दूर-दर्शन, आकाशवाणी आदि मीडिया माध्यमों से जानकारियॉं किसानों को दी जाए। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम सभावार प्रगतिशील किसानों के सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उन्हें नियमित रूप से सामयिक कृषि कार्यो विषयक जानकारियॉं दी जायें तथा ग्राम सभा के अन्य प्रगतिशील किसानों को अधिकाधिक संख्या में वाट्सऐप ग्रुप बनाकर इन जानकारियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

42. **<u>कृषि कार्यो को करने के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉं अपनायी जायः-</u>**

सभी प्रकार के कृषि कार्यो को करने से पहले तथा बाद में हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोए अथवा सेनिटाइज़र का प्रयोग करे। कार्य करते समय ऑंख, मुंह, नाक को हाथ से न छूएं, ताकि संक्रमण से बचे रहे। कृषि कार्यो हेतु कृषि यंत्रो के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाय। कार्य करने से पूर्व कृषि यंत्रो की धुलाई एवं सफाई करे। उर्वरक एवं अन्य निवेशों को दुकानो से क्रय करते समय तथा पी0ओ0एस0 मशीन का प्रयोग करने के पश्चात साबुन से हाथ धोएं या सेनिटाइज़र का प्रयोग करे।

43. **<u>सिंचाई जल प्रबन्धनः-</u>**

फसलोत्पादन लक्ष्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा की समय पर पर्याप्त सिचांई जल उपलब्ध हो, इस हेतु आवश्यक होगा किः-

1. नहरो एवं उनकी अल्पिकाओ के टेल तक पानी समय से पहुँचें तथा रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो।
2. नलकूप निरन्तर क्रियाशील रहे।
3. निजी नलकूपो को पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहे।

44. **<u>रबी 2023 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नवत् होंगेः-</u>**

I. गेहूँ का उत्पादन 17.10 लाख मी0टन बढ़ाया जाना है।
II दलहन के क्षेत्राच्छादन में 0.35 लाख हे0 तथा उत्पादन में 2.90 लाख मी0टन की वृद्धि की जानी है।
III. तिलहनी फसलो के क्षेत्राच्छादन में कुल 0.31 लाख हे0 एवं उत्पादन मे 0.46 लाख मी0टन की वृद्धि की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यानि की रबी क्षेत्राच्छादन मे कुल 0.79 लाख हे0 की वृद्धि की जानी है एवं उत्पादन में लगभग 20.83 लाख मी0टन की बढ़ोतरी लक्षित है।

45. **<u>उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति निम्नवत होगीः-</u>**

I. समतल भूमि आधी खेती है-खेती का समतलीकरण न सिर्फ उत्पादन लागत 7 प्रतिशत कम करता है, बल्कि सिचांई के पानी एवं उर्वरक की उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है। उक्त सोच अन्तर्गत फार्म मैकनाइजेशन की विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत लेजर लैण्ड लेवलर कृषको को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. दलहनी एवं तिलहनी फसलो के क्षेत्राच्छादन व उत्पादन बढाने के लिए बुन्देलखण्ड के जनपदो को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कार्य किया जायेगा।

III. गेहूँ की प्रस्तावित बीज प्रतिस्थापन दर 47.00 प्रतिशत रखी गयी है तथा समस्त रबी फसलों के बीजों की औसत बीज प्रतिस्थापन दर 46.00 प्रतिशत का लक्ष्य है।

IV. फसली ऋण विगत वर्ष रू0 82513.32 करोड़ वितरित किया गया था जिसके सापेक्ष इस वर्ष रू0 101000.93 करोड़ फसली ऋण वितरित किया जायेगा। इसमें रू0 18487.61 करोड़ यानि की 22.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी लक्षित है।

V. वर्ष 2023-24 में 0.62 करोड़ कृषको को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

VI. कीटनाशक विगत रबी में 10246.92 मी0टन/किलो0ली0 उपलब्ध कराया गया था जिसके सापेक्ष इस वर्ष 11140.00 मी0टन/किलो0ली0 उपलब्ध कराया जायेगा, जो गत वर्ष की तुलना में 8.71 प्रतिशत अधिक है।

VII. प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में प्रगतिशील कृषको एवं सम्बन्धित अधिकारियों के दल को उन प्रदेशों मे प्रशिक्षण/भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जायेगी जहां सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गयी है।

VIII. सिचाई में वाटर यूज़ इफिशियंसी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जायेगा।

IX. उर्वरक एवं पेस्टीसाइड आदि की यूज इफिशियंसी को बढ़ावा देने के लिये नई तकनीकी व उन्नत प्रायौगिकियों का प्रचलन बढ़ाया जायेगा।

X. फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष पर जोर देते हुए क्लस्टर एप्रोच का कार्य किया जायेगा।

XI. फसल प्रणाली केन्द्रित हस्तक्षेप को बढ़ाया जायेगा।

XII. मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए ढैंचा का प्रयोग एवं समुचित क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेण्ट के लिए आवश्यक कृषि उपकरण व बायोएजेण्ट्स को पर्याप्त संख्या व मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

XIII. कृषि कार्यो में ड्रोन आधारित तकनीकी को बढ़ावा दिया जायेगा।

46. **<u>कार्यान्वयन एवं अनुश्रवणः-</u>**

प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय सारिणी के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराकर इनका वितरण, विद्युत आपूर्ति, डीजल की उपलब्धता/नलकूप/नहर द्वारा सिंचाई व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा कर समस्याओं का निराकरण अपने स्तर अथवा अपेक्षित स्तर से कराना सुनिश्चित करेगें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी अवश्य पहुँचें।

उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि हेतु रबी के फसलोत्पादन की उपर्युक्तानुसार विस्तृत रणनीति एवं सम्बंधित संलग्नक प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रयास किया जाये कि उक्त योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को प्राप्त हो सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि रबी अभियान 2023-24 हेतु अपने मण्डल/जनपद की भू-जलवायुविक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर विशेष रणनीति तैयार कराते हुए कृषि उत्पादन में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर रबी अभियान 2023-24 को पूर्णतः सफल बनायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-80/2023/1436(1)/12-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश, कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।
6. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
10. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
18. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, लखनऊ।
19. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
23. मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
24. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
25. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ।
26. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, कुमारगंज(अयोध्या), बांदा।
27. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
28. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
29. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
30. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण छलेसर, आगरा।
31. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगंध पौध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
32. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी।
33. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

34.निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
35.निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
36.निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
37.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
38.प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
39.कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।
40.क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
41.प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
42.समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
43.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
44.समस्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
45.निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
46.निजी सचिव, मा0 राज्य कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।